रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 867] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2004/आश्विन 16, 1926
No. 867] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2004/ASVINA 16, 1926

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2004

का.आ. 1095(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2063 तारीख 21 जून, 1988 के उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 से 3 पर विनिर्दिष्ट कार्यों की बाबत राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साढे तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुए, लागू होने से छूट देती है कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन सरकार द्वारा विहित मजदूरों और नियमित कर्मकारों के सबसे नीचे प्रवर्ग, अर्थात् राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के प्रवर्ग 1 को संदेय मजदूरी के बीच मजदूरी का संदाय किया जाएगा जिसमें मूल वेतन और मंहगाई भत्ता तथा भविष्य निधि के फायदे और कोयला कंपनी की कोयला खान औषधालय भी सम्मिलित है।

[फ. सं. एस-16012/2/2003-एल डब्ल्यू]

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 1095(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts Eastern Coal Fields Limited from the applicability of the notification No. S.O. 2063 dated the 21st June, 1988 of the Government of India in the Ministry of Labour in respect of works specified in the Schedule to the notification at serial numbers 1 to 3 for a period of three and half years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the conditions that the workers shall be paid wages in the midway between the wages prescribed by the Government under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the wages payable to the lowest category of regular workers that is Category 1 of National Coal Wage Agreement, comprising of Basic Pay plus Dearness Allowance and benefits of Provident Fund as well as medical facilities in the Colliery Dispensaries of coal company.

[F. No. S-16012/2/2003-LW]

MANOHAR LAL, Jt. Secy.

3043 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.